भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1272
उत्तर देने की तारीख 11 दिसंबर, 2023
सोमवार, 20 अग्रहायण, 1945 (शक)

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

1272. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में महिलाओं में बेरोजगारी दर ज्यादा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या महिलाओं की बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र में और अधिक महिला कौशल विकास केन्द्र खोलने का सरकार का प्रस्ताव है और यदि हां, तो आकांक्षी जिलों का ब्योरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) महाराष्ट्र में अधिक महिला बेरोजगारी दर वाले क्षेत्रों में इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) महाराष्ट्र में विशेषकर ओसमानाबाद (धारावी) चुनाव क्षेत्र में बेरोजगार लोगों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के द्वारा कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

एमएसडीई की इन स्कीमों के तहत कौशल विकास केंद्रों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** पर है।

(ख) और (ग) रोजगार और बेरोजगारी संबंधी डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा संचालित किया जाता है। नवीनतम पीएलएफएस, वर्ष 2022-23 के अनुसार, महाराष्ट्र में 15 वर्ष

और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर 2.3 प्रतिशत है, जबकि पूरे भारत में यह 2.9 प्रतिशत है।

(घ) और (ङ) एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के तहत प्रशिक्षण केंद्रों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। इन केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ महिलाओं सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को उपलब्ध है। इसके अलावा, विशेष रूप से महिलाओं के लिए 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से एक महाराष्ट्र के मुंबा में है।

(च) और (छ) नियोजनीयता में सुधार के साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

बुनियादी ढांचे और उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल ही के वर्षों में यह भारी वृद्धि विकास क्षमता और रोजगार सृजन को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यापार को प्रोत्साहन देने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न दीर्घावधि स्कीमें/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

नए रोजगार सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरू की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2022 थी। इस स्कीम के तहत निधि का कोई विशिष्ट राज्यवार आबंटन नहीं है। वित्तीय-वर्ष 2023-24 के दौरान इस स्कीम के तहत 2272.82 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

सरकार 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि स्कीम) को कार्यान्वित कर रही है ताकि स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसायों को पुनः शुरू करने के लिए संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके, जिनमें कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की गई थी। पीएमएमवाई के तहत, सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को अपने व्यावसायिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में सक्षम बनाने हेतु 10 लाख रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण दिया जाता है।

सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें 60 लाख नए जॉब सृजन करने की क्षमता है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात इंजनों अर्थात्, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद अवसंरचना, द्वारा संचालित है। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए भारी मात्रा में जॉब और उद्यमशीलता के अवसर पैदा होते हैं।

भारत सरकार देश में रोजगार सृजन के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस),

पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) आदि जैसी स्कीमों पर पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय स्थायी आधार पर शहरी निर्धन परिवारों की निर्धनता और भेद्यता को कम करने के लिए "दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" नामक एक केन्द्रित प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, कौशल प्रशिक्षण और नियोजन (ईएसटी एंड पी) घटक के माध्यम से रोजगार के तहत बाजार उन्मुख पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी निर्धनों को लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल वैतनिक रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना है। साथ ही, लाभकारी स्व-रोज़गार उद्यम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए शहरी निर्धन के व्यक्तियों/समूहों/स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इन पहलों के अलावा, सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, हाउसिंग फॉर ऑल आदि भी देश में रोजगार के अवसर पैदा करने की ओर उन्मुख हैं।

इन सभी पहलों से बहु-प्रभाव के माध्यम से लंबी अवधि में महाराष्ट्र में महिलाओं सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सामूहिक रूप से रोजगार पैदा होने की आशा है।

उस्मानाबाद सहित महाराष्ट्र के आकांक्षीय जिलों में प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

स्कीम	प्रशिक्षण केंद्र			
	जलगांव	गढ़चिरौली	नादुरबार	उस्मानाबाद
पीएमकेवीवाई	2	-	-	3
जेएसएस	1	1	2	-
एनएपीएस	60	4	12	16
सीटीएस (आईटीआई) (सरकारी और निजी सहित)	93	17	11	18

स्कीम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या			
	जलगांव	गढ़चिरौली	नादुरबार	उस्मानाबाद
पीएमकेवीवाई (स्कीम के प्रारंभन से अक्तूबर, 2023 तक)	55564	13231	14344	20011
जेएसएस (2018 से अक्तूबर, 2023)	8666	3600	16825	-
एनएपीएस (2018-19 से अक्टूबर, 2023)	5986	444	467	972
सीटीएस (वर्ष 2018 से 2022 तक)	34549	10663	8217	8176

<u>दिनांक 11.12.2023 को श्री श्री ओम प्रकाश भूपालसिंह अल्लास पवन राजेनिम्बालकर द्वारा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र के संबंध पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1272 के संदर्भ में</u>

पीएमकेवीवाई, जेएसएस, एनएपीएस और आईटीआई के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कौशल विकास केंद्रों की संख्या (**31.10.2023** तक) :

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमकेके केंद्र	जेएसएस केंद्र	एनएपीएस	आईटीआई	
					सरकारी आईटीआई	निजी आईटीआई
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	1	10	3	1
2	आंध्र प्रदेश	23	6	923	85	435
3	अरुणाचल प्रदेश	7		16	7	0
4	असम	28	5	775	31	14
5	बिहार	47	21	805	150	1226
6	चंडीगढ़	1	1	116	2	0
7	छत्तीसगढ	22	14	301	120	112
8	दिल्ली	8	3	5691	17	36
9	गोवा	1	1	409	11	2
10	गुजरात	28	9	10940	274	229
11	हरियाणा	24	4	5092	160	228
12	हिमाचल प्रदेश	11	11	610	128	142
13	जम्मू और कश्मीर	18	1	425	49	1
14	झारखंड	20	12	330	77	270
15	कर्नाटक	32	12	1666	275	1229
16	केरल	20	9	1515	149	315
17	लद्दाख	2	2	9	3	0
18	लक्षद्वीप	0	1	1	1	0
19	मध्य प्रदेश	52	27	885	195	882
20	महाराष्ट्र	44	21	6958	422	619
21	मणिपुर	13	4	17	10	0
22	मेघालय	6	1	27	7	1
23	मिजोरम	3	1	5	3	0
24	नगालैंड	3	2	18	9	0
25	ओडिशा	26	28	609	75	450
26	पुदुचेरी	4	0	175	8	7
27	पंजाब	22	2	717	115	235
28	राजस्थान	32	8	721	165	1455
29	सिक्किम	3		41	4	0
30	तमिलनाडु	37	8	2193	87	411
31	तेलंगाना	29	6	1054	66	236
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	2	95	4	0
33	त्रिपुरा	6	2	76	20	2
34	उत्तर प्रदेश	81	47	5144	289	2968
35	उत्तराखंड	13	8	526	105	82
36	पश्चिम बंगाल	43	8	895	163	139
	सकाल योग	**711**	**288**	**49927 (*42453)**	**3289**	**11727**

*****